मध्य रेल

मंडल रेल प्रबंधक का कार्यालय
संरक्षा शाखा, पुणे

संख्या. पुणे / सं. / संरक्षा परिपत्र / 38 / 10 -11

दि. 21.12.2010

गाड़ी संचालन और उससे संबंधित सभी कर्मचारी
पुणे मंडल

संरक्षा परिपत्र संख्या 12 / 2010-11

विषय :- साधारण एवं सहायक नियम 1999 आवृति के मद संख्या 1 से 4 के अनुसार अग्रिम शुध्दिपत्र संख्या 11 की मुख्य बातें ।

संदर्भ :- मुख्य परिचालन प्रबंधक कार्यालय का पत्र संख्या टि आर / जी एडं एस आर / संशो. / 101 दि. 20.05.2010, 07.06.2010, 25.06.2010, 12.07.2010

कृपया गाड़ी परिचालन के लिए नियमों में परिवर्तन की जानकारी प्राप्त करें । तदनुसार अपनी नियम पुस्तिका अद्यतन करें ।

अग्रिम शुध्दिपत्र	मद	नियम संख्या		परिवर्तित विवरण
11	1	**स. नि. 4.09-1 (V) सतर्कता आदेश प्रदान करना**	1.	सतर्कता आदेश स्टेशन मास्टर या उसके द्वारा तैनात किया गया सक्षम रेल कर्मचारी या लाबी पर्यवेक्षक जहाँ गाडी कर्मचारियों को बुक किया जाता है और ड्यूटी के लिए साईन 'आन' करते समय गाड़ी के लोको पायलट, सहा. लोको पायलट और गार्ड को सुपुर्द किया जाएगा और उनके द्वारा इसकी प्राप्ति पावती ली जाएगी । जब एक से अधिक पृष्ठों का सतर्कता आदेश दिया जाता है तो प्रत्येक पृष्ठ पर गाड़ी कर्मचारी का हस्ताक्षर लिया जाएगा ।
			2.	जहां एक से अधिक लोको है, तो आगे के लोको के लोको पायलट को सतर्कता आदेश दिया जाएगा और उप नियम (1) के अनुसार उसका हस्ताक्षर लिया जाएगा। तथापि आगे के लोको के लोको पायलट को सतर्कता आदेश देने के पहले वह लोको पायलट को या अन्य लोको के लोको पायलट को या गाड़ी के साथ लगे लोको के लोको पायलटों को दिखाया जाएगा और वह इस सतर्कता आदेश से अवगत हो गये हैं, इस लिए उसका या उनका हस्ताक्षर लिए जायेंगे । यदि बैंकिंग इंजन / सहायता इंजन पीछे के बाजू / या सामने लगे है तो जहां इस प्रकार के इंजन लगे है वहां के स्टेशन मास्टर द्वारा नया सतर्कता आदेश जारी किया जाएगा ।
			3.	गाडी के कर्मचारियों का यह उत्तरदायित्व है कि वह अपने गाडी का सतर्कता आदेश संबंधित स्टे.मा./ लॉबी पर्यवेक्षक से ऑन ड्यूटी साइन करते समय प्राप्त करेगा।
			4.	जंहा लोको पायलटों एवं गार्डों की लाबियां अलग – अलग स्थानों पर स्थित है वहां स्टेशन मास्टर सतर्कता आदेश की अतिरिक्त प्रतियां तैयार करेगा और संबंधित गाडी कर्मचारियों को सुपूर्द करने के लिए संबंधित लॉबी पर्यवेक्षक को सुपुर्द करेगा।
			5	सतर्कता आदेश के आपात अधिरोपण के समय स्टे.मा. का यह उत्तरदायित्व है कि संबंधित गाडी कर्मचारियों को अतिरिक्त सतर्कता आदेश सुपूर्द करना सुनिश्चित करें और उनसे प्राप्ति पावती प्राप्त करें।
			6	मुंबई मंडल पर जहां प्रत्येक दिन सतर्कता आदेश बनाए जाते हैं और गाडी कर्मचारी को जारी किए जाते हैं, लॉबी पर्यवेक्षक को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि मंडल रेल प्रबंधक द्वारा जारी किए गए जेपीओ के विशेष अनुदेशों के अनुसार गाडी कर्मचारियों ने साइनिंग ऑन रजिस्टर के संबंधित कॉलम में हस्ताक्षर किया है।

			7	यदि गाडी को पीछे से ढकेलकर प्रचालन किया जाना है तो प्रभावित ब्लॉक सेक्शन के पीछे के स्टेशन पर गाडी के लोको पायलट को स्मरण सतकर्ता आदेश दिया जाएगा।	
11	**2**	**स.नि.3.64-6 के अनुसार तिथि समाप्त पटाखों का निपटारा / समाप्त करना (कोहरा सिगनल**)	तिथि समाप्त पटाखे / जांच या वास्तविक कार्यसंचालन के समय पटाखों का विस्फोट न होने पर निम्नलिखित पद्धति द्वारा उन्हें नष्ट किया जाएगा । **क**. 48 घंटों के लिए लाइट मिनरल तेल में उन्हे सोंखना और आवश्यक सावधानी लेकर उन्हे एक के बाद एक करके आग में फेंक देना। **ख.** इनसाइनरेटर द्वारा उन्हें जलाना। **ग**. शंटिंग प्रचालन के समय मालडिब्बों के नीचे उन्हे डेटोनेट करना। **घ.** गहरे समुद्र में उन्हे फेंक देना। तिथि समाप्त पटाखों को राजपत्रित अधिकारी के समक्ष नष्ट किया जाएगा और राजपत्रित अधिकारी उपलब्ध न होने पर वरिष्ठ पर्यवेक्षीय कर्मचारी के समक्ष नष्ट किया जाएगा। वह सुनिश्चित करेंगे कि पटाखें नष्ट करते समय चिंगारी से कोई चोट न लगें जनहानी और मालहानि न हो इसके लिए सभी प्रकार की सावधानी बरती जाएगी। यह ध्यानपुर्वक देखा जाएगा पटाखों को कभी भी जमीन में नहीं गाड़ा जाएगा या पानी में ऐसे स्थान पर नहीं फेंका जाएगा कि वहां से कोई निकाल सके।		
11	**3**	**सा. नि.** **4.50 के अधीन स. नि. 4.50 – 1 (क) (मद 9) के अनुसार इंजन सिटी कोड**		**इंजन सीटी कोड**	**संकेत**
			9 (i)	- - - - - - - - - - मध्यवर्ति	आनेवाला समपार फाटक
			9 (ii)	———————— लगातार	**क**. आनेवाली सुरंग या प्रतिबंधित दृष्यता क्षेत्र या मोड या कटिंग या दुर्घटना साइट क्षेत्र **ख**. पीछे से गाडी का बचाव करनेवाले रेल कर्मचारी को पुन बुलाना। **ग.** प्रस्थान के लिए तैयार सामग्री गाडी . **घ.** स्टेशन से बिना रूके सीधे गुजरना **च.** रोक सिगनल पर ऑन स्थिति में पहुंचना। **छ.** रोक सिगनल पर विलंबन । **ज.** कोहरा, तूफान के परिणामस्वरूप या किसी अन्य कारण से सिगनल की दृश्यता बाधित हो
11	**4**	**सा.नि. 4. 25 के अंतर्गत स. नि. 4.25.1 (1)**	**क**	**क.** गार्ड के बिना कोई गाडी नहीं चलेंगी तथापि आपात के स्थिति में व.मं.परि.प्रबं. की पूर्व अनुमति सहित मालगाडी को बिना गार्ड के चलाया जा सकता है, इस तरह के मामलों में अर्हता प्राप्त समूह ‘ग’ के कर्मचारी को गार्ड की ड्यूटी करने के लिए तैनात किया जाएगा, जो गार्ड के न्यूनतम उपकरण अर्थात पटाखें, लाल और हरी झंडी / एलईडी आधारित फ्लैशिंगएच एस बत्तियां आदि अपने साथ लाएगा जो कि गाडी की सुरक्षा और गाडी का सुरक्षित प्रचालन करने के लिए आवश्यक है । इस तरह चलाई गई माल गाडियोंका रिकार्ड नियत्रंण कार्यालय में रखा जाएगा। **ख.** जब ब्रेक वैन की व्यवस्था नहीं की गई, गार्ड इंजन में सफर करेगा । तथापि मुंबई मंडल के कसारा- इगतपुरी (एन ई) और कर्जत – लोणावला (एस ई) घाट सेक्शनों में डाउन दिशा में गार्ड, बैंकर / बैंकरों के सबसे पीछे के लोको के पीछेवाले कैब में सफर करेगा।	

(सु. रविचंद्रन)

मंडल संरक्षा अधिकारी / पुणे